न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 94/2017 अपील

1. श्रीमती सरजू बाई पत्नी स्व. छोटू मीणा निवासी मुण्डी भटटा , छाजेलों का खेड़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 177 दिनांक 01.03.2014
तहसीलदार जहाजपुर

उपस्थित –
1. श्री मौहम्मद हुसैन कुरेशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 177 दिनांक 01.03.2014 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पान्चा का बाडा पटवार हल्का बिन्ध्या भाटा, भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर तहसील जहाजपुर में नया खाता सं. 140 एवं पुराना खाता सं. 136, आराजी नं. 2266,2272,2351,2355,2364,2367 किता 06 रकबा 03.12 बीघा होकर उसमें अपीलार्थीया का एवं उसकी पुत्री मांगी के नाम पर 1/4 का इन्द्राज हैं। अपीलार्थीया के पति छोटू के 2 संतान एक कजोड़ पुत्र एवं दूसरी मांगी बाई पुत्री है । छोटू का काफी वर्षों पूर्व निधन हो गया तथा कुछ समय पश्चात् अपीलार्थीया के पुत्र कजोड का भी निधन हो गया । जमाबन्दी वर्ष संवत् 2064–2067 में उक्त खाते में अपीलार्थीया के बजाय कजोड पुत्र छोटू के 1/4 का इन्द्राज कर दिया गया था । तहसीलदार जहाजपुर ने अपने इन्तकाल नं. 177 दिनांक 01.03.2014 के द्वारा कजोड के फोत हो जाने से कजोड के बजाय मांगी पुत्री कजोड एवं सरजू बेवा कजोड का अंकन कर वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण का आदेश कर दिया तथा इस बाबत जो सिजरा तैयार किया गया वह भी पूर्णतया गलत था । जिसमें कजोड को अपीलार्थीया का पति एवं मांगी का पिता दर्शाया गया जबकि वास्तव में कजोड अपीलार्थीया एवं उसके मृतक पति छोटू का पुत्र हैं। तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा उक्त खाता सं. नया 140 एवं पुराना 136 मे किया गया नामान्तरकरण पूर्णतया गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं । अपीलार्थीया सरजू स्व. छोटू की विधवा होकर कजोड उसका पुत्र था, जिसका निधन हो गया तथा श्रीमती मांगी जो अपीलार्थीया की पुत्री है। इस प्रकार नामान्तरकरण में श्रीमती सरजू बेवा छोटू एवं श्रीमती मांगी पुत्री छोटू का नाम इन्द्राज किया जाना चाहिऐ था । अपीलार्थीया को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 31.05.2017 को नकल प्राप्त करने पर हुआ । जानकारी प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 05 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा हैं । अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा किया गया नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री मांगी का नाम मय पति छोटू एवं पिता छोटू का इन्द्राज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.08.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पान्चा का बाडा पटवार हल्का बिन्ध्या भाटा, भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर तहसील जहाजपुर में नया खाता सं. 140 एवं पुराना खाता सं. 136, आराजी नं. 2266,2272,2351,2355,2364,2367 किता 06 रकबा 03.12 बीघा होकर उसमें अपीलार्थीया का एवं उसकी पुत्री मांगी के नाम पर 1/4 का इन्द्राज हैं। अपीलार्थीया के पति छोटू के 2 संतान एक कजोड़ पुत्र एवं दूसरी मांगी बाई पुत्री है । छोटू का काफी वर्षो पूर्व निधन हो गया तथा कुछ समय पश्चात् अपीलार्थीया के पुत्र कजोड का भी निधन हो गया । जमाबन्दी वर्ष संवत् 2064–2067 में उक्त खाते में अपीलार्थीया के बजाय कजोड पुत्र छोटू के 1/4 का इन्द्राज कर दिया गया था । तहसीलदार जहाजपुर ने अपने इन्तकाल नं. 177 दिनांक 01.03.2014 के द्वारा कजोड के फोत हो जाने से कजोड के बजाय मांगी पुत्री कजोड एवं सरजू बेवा कजोड का अंकन कर वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण का आदेश कर दिया तथा इस बाबत जो सिजरा तैयार किया गया वह भी पूर्णतया गलत था । जिसमें कजोड को अपीलार्थीया का पति एवं मांगी का पिता दर्शाया गया जबकि वास्तव में कजोड अपीलार्थीया एवं उसके मृतक पति छोटू का पुत्र हैं। अपीलार्थीया सरजू स्व. छोटू की विधवा होकर कजोड उसका पुत्र था, जिसका निधन हो गया तथा श्रीमती मांगी जो अपीलार्थीया की पुत्री है। इस प्रकार नामान्तरकरण में श्रीमती सरजू बेवा छोटू एवं श्रीमती मांगी पुत्री छोटू का नाम इन्द्राज किया जाना चाहिऐ था । निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा किया गया नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री मांगी का नाम मय पति छोटू एवं पिता छोटू का इन्द्राज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार जहाजपुर ने विरासत का नामान्तरकरण सं. 177 मांगी पुत्री कजोड , सरजू बेवा कजोड 1/4 मीणा सा. देह के नाम पर दिनांक 01.03.2014 को स्वीकार किया गया , जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार कार्ड) तथा परिवार राशन कार्ड अनुसार श्रीमती

सरजू बाई पत्नी छोटू मीणा अंकित होना दर्शाया गया हैं। मांगीबाई पुत्री छोटू मीणा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । तहसीलदार जहाजपुर द्वारा वारिसान की बिना जांच पड़ताल किये गलत वल्दियत अंकित करते हुये नामान्तरकरण सं. 177 स्वीकृत किया जो त्रुटिपूर्ण हैं । अतः दस्तावेजी साक्ष्य को मध्येनजर रखते हुए पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत स्वीकार की जाती हैं । तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश 177 दिनांक 01.03.2014 को अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार जहाजपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य को मध्येनजर रखते हुये वारिसान की वल्दियत की जांच की जाकर विरासत की नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19/2/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा